



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20042026-271934
CG-DL-E-20042026-271934

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1884]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 20, 2026/चैत्र 30, 1948

No. 1884]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 20, 2026/CHAITRA 30, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2026

का.आ. 1955(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4974(अ) तारीख 03 नवंबर, 2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग - 2, खण्ड - 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में अन्नमय्या जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 के 0.000 कि.मी. से 55.900 कि.मी (मदनपल्ली से पिलेरु सेक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा 3क की उपधारा (3) के अधीन " 07 नवंबर 2025" तारीख को " हंस इंडिया " और " आंध्र प्रभा " दोनों में प्रकाशित किया गया था; और सक्षम प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के अन्नमय्या जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 के 0.000 कि.मी.से 55.900 कि.मी.तक (मदनपल्ली से पिलेरू सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश			जिले का नाम: अन्नमय्या		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: मदनापल्ली					
गांव का नाम: वेंकप्पाकोटा					
1	7/1ए1	निजी (पट्टा)	ड्राय	0.004047	1.कोल्ले वेंकटा रमाना ऍस्/ओ थिम्मय्या, 2. कोल्ले रामा चंद्र ऍस्/ओ थिम्मय्या, 3. कोल्ले चिन्नप्पा ऍस्/ओ थिम्मय्या, 4. रामकृष्ण रेड्डी 7/1A1B
2	7/1बी2	निजी (पट्टा)	ड्राय	0.0202347	1.रामकृष्ण रेड्डी, 2. सम्पथ कुमार 7/1B2B
3	7/1सी2	निजी (पट्टा)	ड्राय	0.133549	1.के.अरुणकुमार ऍस्/ओ प्रकाशम, 2.बासिनीकोंडा महादेव ऍस्/ओ नागप्पा 7/1C2B
गांव का नाम: बंदमीदा कम्पापल्ले					
4	447/1सी	निजी (पट्टा)	ड्राय	0.0323755	1.टी.मोहन रेड्डी ऍस्/ओ लेट टी.रेडेप्पा रेड्डी, 2. टी.श्रीनिवासुलु रेड्डी ऍस्/ओ लेट टी.रेडेप्पा रेड्डी, 3. टी.श्यामलम्मा डबल्यू/ओ लेट टी.रेडेप्पा रेड्डी, 4. येनामाला जनार्दन रेड्डी ऍस्/ओ ओबुल रेड्डी, 5. येनामाला ओबुलेसु रेड्डी ऍस्/ओ ओबुल रेड्डी,

					6. येनामाला नागामल रेड्डी एँस्/ओ ओबुल रेड्डी 447/1C
Total				0.1902062	

[फा. सं. 070MP-04/3A/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th April, 2026

S.O. 1955(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O.4974(E) dated 03rd November 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 71 on the stretch of land from Km. 0.000 to Km. 55.900 (Madanapalli to Piler Section) in the district of Annamayya in the State of ANDHRA PRADESH.

And whereas the substance of the said notification has been published in “HANS INDIA” and “ANDHRA PRABHA” both dated 07th November 2025; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired, with or without structures falling within the stretch of land from Km. 0.000 to Km. 55.900 (Madanapalli - Piler Section) on the National Highway No. 71 in the District of Annamayya in the State of Andhra Pradesh.

State: ANDHRA PRADESH			District: Annamayya		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Madanapalle					
Village: Venkappakota					
1	7/1A1	Private (Patta)	Dry	0.004047	1.Kolle Venkata Ramana S/o Thimmayya, 2. Kolle Rama Chandra S/o Thimmayya, 3. Kolle Chinnappa S/o Thimmayya, 4. Ramakrishna Reddy 7/1A1B
2	7/1B2	Private (Patta)	Dry	0.0202347	1.Ramakrishna Reddy, 2. Sampath Kumar 7/1B2B

3	7/1C2	Private (Patta)	Dry	0.133549	1.K.ArunKumar S/o Prakasham, 2.Basinikonda Mahadeva S/o Nagappa 7/1C2B
Village: Bandameeda Kammapalle					
4	447/1C	Private (Patta)	Dry	0.0323755	1.T.Mohan Reddy S/o Late T.Reddeppa Reddy, 2. T.Sreenivasulu Reddy S/o Late T.Reddeppa Reddy, 3. T.Shyamamma W/o Late T.Reddeppa Reddy, 4. Yenamala Janardhan Reddy S/o Obul Reddy, 5. Yenamala Obulesu Reddy S/o Obul Reddy, 6. Yenamala Nagamal Reddy S/o Obul Reddy 447/1C
Total				0.1902062	

[F. No 070MP-04/3A/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director